यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)
अंचल कार्यालय : भोपाल अंचल, फ्लाट नं. 22, अरेरा हिल्स, भोपाल, फोन: 0755-4046011, 7389231314

परिशिष्ट - IV क [नियम 8 (6) एवं 8(2) का परन्तुक देखें]

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं 8(2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों जो **यूको बैंक, संबंधित शाखा** प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **कब्जा यूको बैंक, संबंधित शाखा** प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्न वर्णित आस्तियों से **यूको बैंक, संबंधित शाखा** प्रतिभूत लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेची जायेगी।

ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : 11.11.2026 को सुबह 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
(स्वतः समयवृद्धि) बीच में विस्तार प्रत्येक आस्ति नियम के साथ
आरक्षित राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि 10.11.2026 शाम 4.30 बजे तक

ऋणी एवं जमानतदार का नाम	मांग सूचना दि. कब्जा दिनांक बकाया राशि	बंधक संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बिड बढ़ाने की राशि
यूको बैंक, ग्वालियर शाखा, जबलपुर फोन : 9039419438			
ऋणी: **मेसर्स जे.बी. इंडस्ट्रिक बोथराइट-** **श्री विवेक खरखड़ा** 17/6, पंचशील नगर, नर्मदा रोड, गढ़ाफाटक चौक 2, जबलपुर	**15.04.2026** **22.07.2026** **₹ 1,75,11,711.85** **31.08.2026** तक लागू ब्याज +कोई भी फायदा न किया गया ब्याज एवं अन्य खर्चे	संपत्ति मालिक:- विवेक खरखड़ा, मकान हाउसिंग, मकान डायनेमिक मार्केट के सामने, मौजा सिलहरी, खेतांतरण गली आवंटी कई गई, चार्ट संख्या 67, एच.बी. 231, पटवारी हल्का संख्या 23/28, खसरा नंबर 308/2, 311/3, 312/2, प्लॉट संख्या 38, मौजा सिलहरी, तहसील और जिला जबलपुर। **चौहद्दीमिलाई:** पूर्व- दुलेरिया नंबर 34, पश्चिम- दुलेरिया नंबर 36, उत्तर- दुलेरिया नंबर 33, दक्षिण- खाद्य रोड। **सांकेतिक कब्जा**	₹ **1,08,00,000/-** ₹ **10,80,000/-** ₹ **10,000/-**

बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया दिए गए लिंक https://baanknet.com देखें।

प्राधिकृत अधिकारी / सेवालयकर्ता को यथा द्वारा नीलामी की दिनांक के पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान बैंक को करने हेतु सूचित किया जाता है अन्यथा उपरोक्त वर्णित संपत्ति की ई-नीलामी का दिया आदेश तथा देय राशि वसूल एवं अन्य खर्चों सहित उसमें वसूल की जायेगी। यह प्रकाशन सांपेक्षी अधिनियम के अन्तर्गत 30 दिवसीय वैधानिक सूचना भी है।

नियम एवं शर्तें :

1.ई-नीलामी "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है वहां" और "बिना किसी दायित्व के" के आधार पर ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। बैंक संपत्ति की एक लॉट में या अलग से बिक्री का अधिकार सुरक्षित रखता है। नीलामी वर्णित प्रपत्र (नीलामी एप्लीकेशन के) केमरीटेल **https:// baanknet.com** पर आयोजित की जाएगी।

2. इच्छुक बिडिदाताओं अपनी बिडिद जमा करने से पूर्व संपत्ति से संबंधित कोई भार (इनकम्बेन्स), संपत्ति का स्वामित्वाधिकार, दावे, देनदारी आदि जो किसी भी प्रकार से संपत्ति को प्रभावित करते हो, के विषय में स्वतंत्र निरीक्षण एवं जानकारी कोई लगाने से पूर्व स्वयं प्राप्त करें। ई-नीलामी विज्ञप्ति बैंक की प्रतिबद्धता अथवा देयदायित्व निर्धारित नहीं करता है। संपत्तियां यथास्थिति, जहां एवं अनजानी चार, पहले से ज्ञात हो या अज्ञात, के साथ बिक्रय की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / सिस्टम्स प्रोवाइडर संपत्ति या किसी भी भाग के दावे/अधिकार/ देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

3. **इच्छुक बोलीदाताओं को यह जिम्मेदारी होगी कि वे बोली जमा करने से पहले संपत्ति/आवदय का निरीक्षण करें एवं संपत्तियों के संबंध में स्वयं संतुष्ट हों। इच्छुक बोलीदाता/खरीदार कार्यालयीन समय में दिनांक 26.10.2026 से 02.11.2026 तक सुबह 11.00 बजे से शाम 05.00 बजे के बीच ई-नीलामी में सही नई संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।**

4. क्रेता को लागू स्टाम्प शुल्क/अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/सरकारी शुल्क, शुल्क आदि और किसी के भी बकाया सभी वैधानिक/गैर-वैधानिक बकाया, कर, ऐसे शुल्कोदग्रहण शुल्क, आदि वहन करना होगा।

5. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसे बिना कोई कारण बताए किसी भी समय पर ई- नीलामी में प्राप्त किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/आगे बढ़ाने/रद्द करने या किसी संपत्ति या उसके हिस्से को वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।

6. बिक्री प्रमाणपत्र केवल क्रेता/आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा एवं किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जायेगा।

7 बिक्री विशेष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। विवाद की स्थिति में अंग्रेजी शब्द में लिखित अनुवाद को मान्य किया जायेगा।

फोन: अधिक विवरण हेतु सम्पर्क करें: **9450801818 / 82980 37037**

दिनांक : 23.10.2026
स्थान: भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी
यूको बैंक